

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग
आदेश

सं०-10/निजी-01-1034/2026

पटना/दिनांक-

श्रीमती एकता कुमारी (आई०डी०-5770), सहायक अभियंता, शोध एवं प्रशिक्षण प्रमंडल-03, खगौल, पटना का दिनांक-04.05.2026 से दिनांक-26.05.2026 तक कुल-23 (तेईस) दिनों के उपभोगित अवकाश अवधि को बिहार सेवा संहिता के नियम-227, 230 एवं 248 के आलोक में उपार्जित अवकाश के रूप में स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-1133(21) दिनांक-09.07.2026 द्वारा प्राप्त अवकाश आदेयता (दिनांक-03.05.2026 तक) के आलोक में उक्त अवकाश की स्वीकृति के उपरांत श्रीमती कुमारी के अवकाश लेखा में शेष-116 (एक सौ सोलह) दिनों का उपार्जित अवकाश आदेय है।

3. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(सरफराज अहमद)
अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक-10/निजी-01-1034/2026

पटना/दिनांक-

प्रतिलिपि- प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै० दा० नि० को०) विभाग, बिहार, पटना को उनके पत्रांक-PCFC/IRR/BES/2022/1978-1133(21) दिनांक-09.07.2026 एवं बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाईटी, बिहार, पटना के पत्रांक-1215 दिनांक-25.07.2024 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-

अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक-10/निजी-01-1034/2026

पटना/दिनांक-

प्रतिलिपि- मुख्य अभियंता, केन्द्रीय रूपांकण, शोध एवं गुण नियंत्रण, जल संसाधन विभाग, अनिसाबाद, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-

अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक-10/निजी-01-1034/2026

पटना/दिनांक-

प्रतिलिपि- कार्यपालक अभियंता, शोध एवं प्रशिक्षण प्रमंडल-03, खगौल, पटना को वित्त (वै० दा० नि० को०) विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक-1133(21) दिनांक-09.07.2026 को संलग्न करते हुए विभागीय पत्रांक-3186 दिनांक-14.08.2024 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
अनु०-यथोक्त।

ह०/-

अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक-10/निजी-01-1034/2026

पटना/दिनांक-

प्रतिलिपि- श्रीमती एकता कुमारी (आई०डी०-5770), सहायक अभियंता, शोध एवं प्रशिक्षण प्रमंडल-03, खगौल, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-

अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक- 10/निजी-01-1034/2026 3314 पटना/दिनांक- 28/07/2026
प्रतिलिपि- कार्यपालक अभियंता, आईटी0, जल संसाधन विभाग, सूचना प्रावैधिकी केन्द्र, पटना को
विभागीय Website पर अपलोड करने हेतु प्रेषित ।

अवर सचिव (प्रबंधन)।